

**In the Court of Rajeev Kumar-III, District and Additional
Sessions Judge-I-cum-Special Judge, Sitamarhi.
Trial No. 20/2018
C.I.S. (Reg.). No. 1012/2018**

S.L. No.	Date of order of proceeding	Order with Signature of the Court.	Office action taken with date
	26.03.2026	<p>1. अभियुक्तगण 1. उमाशंकर मिश्रा उर्फ खेलारी मिश्रा एवं 2. हेमन्त कुमार की हाजिरी है। आज अभिलेख साक्ष्य हेतु निश्चित है। पुकार पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक भी उपस्थित हुए। अभिलेख साक्ष्य हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया।</p> <p>2. अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य हेतु सम्मन सम्मन ज्ञापांक- 367, दिनांक 15.02.2024। अंततः दिनांक 26.03.2026 को अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया। तत्पश्चात् उभय पक्षों को धारा 232 द0प्र0सं0 के प्रावधानों पर सुना।</p> <p>3. अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन साक्षियों को प्रस्तुत करने हेतु 02 वर्षों से अधिक का समय देने के पश्चात् भी एक भी साक्षी को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि न्यायालय द्वारा साक्षियों के विरुद्ध सम्मन, जमानतीनय अधिपत्र एवं अजमानतीय अधिपत्र निर्गत की जा चुकी है। इस वाद की प्राथमिकी वर्ष 2014 की है। इस प्रकार यह वाद 12 वर्षों से अधिक पुराना है तथा न्यायालय द्वारा साक्षियों के विरुद्ध सम्मन निर्गत किए जाने के पश्चात् भी इस वाद के सूचक, अनुसंधानक और अन्य गैर सरकारी गवाह भी उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार अभियोजन वाद साक्ष्य विहीन है तथा अभियोजन, अभियुक्तों के विरुद्ध गठित आरोपों को सिद्ध करने में पूर्णरूपेण विफल रहा है।</p> <p>4. अतः न्यायालय विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तगण 1. उमाशंकर मिश्रा उर्फ खेलारी मिश्रा एवं 2. हेमन्त कुमार को उनके विरुद्ध आरोपित धाराओं-341/34, 323/34, 504/34, भा0द0वि0 एवं धारा-3(1)(v), 3(1)(x), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अभिलेख पर साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तों को दोषी नहीं पाती है तथा साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण 1. उमाशंकर मिश्रा उर्फ खेलारी मिश्रा एवं 2. हेमन्त कुमार को निर्दोष पाकर धारा-232, दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उन्हें तथा उनके</p>	

**In the Court of Rajeev Kumar-III, District and Additional
Sessions Judge-I-cum-Special Judge, Sitamarhi.
Trial No. 20/2018
C.I.S. (Reg.). No. 1012/2018**

जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित,

ह0 / -

(राजीव कुमार-III)

प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह
-विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act],

सीतामढ़ी।

दिनांक-26.03.2026